न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 389/2025

उकसिंह पुत्र गुलाबसिंह व अन्य
बनाम
फरसराम पुत्र नगाराम वगैरा

दिनांक 18 .05.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (जालोर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2023 बअनवान फरसराम व अन्य बनाम उकसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.03.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं0 1 से 3–प्रार्थी–फरसराम वगैरा ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील चितलवाना स्थित ग्राम तैतरोल के खातेदारी खसरा नम्बर 253/783, 290, 291 की उल्लेखित रकबा भूमि की राजस्व नक्शें में तरमीम अनुसार पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर, तहसीलदार चितलवाना को आदेशित किया गया कि ग्राम तैतरोल के वादग्रस्त ख0 नं0 253/783, 290, 291 एवं ख0नं0 292, 289, 265 की उल्लेखित रकबा भूमि के मध्य माठ की पैमाईश कर, सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी हेतु एक टीम का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें एवं गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनो पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू राजस्व नक्शें में तरमीम अनुसार सीमा की पैमाईश तथा सीमाकंन कर पत्थरगढी करवाये। इससे व्यथित होकर अपीलांट–अप्रार्थी सं0 1 से 3–उकसिंह वगैरा ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलांट श्री रोशनलाल एवं प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 के अधिवक्ता श्री जगदीश कुमार विश्नोई तथा 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0सं0 1 से 3–प्रार्थी–फरसराम वगैरा ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील चितलवाना स्थित ग्राम तैतरोल के खातेदारी खसरा नम्बर 253/783, 290, 291 की उल्लेखित रकबा भूमि की राजस्व नक्शें में तरमीम अनुसार पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया गया। उक्त खसरान के पडौस में अपीलार्थी एवं अन्य प्रत्यर्थीगण के खेत खसरान आये हुए है। आलौच्य प्रकरण में अपीलार्थी एवं अन्य प्रत्यर्थीगण के नोटिस सम्यक रूप से तामिल नही करवाये जाने से उन्हें सुनवाई का अवसर नही मिला। पत्रावली में रजि0 डाक से नोटिस भेजने का आदेश नही हुआ था, नोटिस के साथ एडी नही थे व ट्रेकिंग रिपोर्ट भी पेश नही हुई। प्रार्थना पत्र में पैमाईश रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया गया था, जबकि आदेश नया सीमांकन किया जाकर पैमाईश रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी करवाने का पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा कोई सहमति नही दी गई है। पत्थरगढी के आदेश में कब्जे में परिवर्तन नही किया जा सकता है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आदेश पारित किया गया।

जवाब में प्रत्यर्थी सं0 1 व 3 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना में तहसील चितलवाना स्थित ग्राम तैतरोल के खातेदारी खसरा नम्बर 253/783, 290, 291 की उल्लेखित रकबा भूमि की राजस्व नक्शें में तरमीम अनुसार पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गये थे, जिनमें से अप्रार्थी सं0 1 व 3 से 7 की ओर से बाद नोटिस तामिल कोई उपस्थित नही हुआ तथा अप्रार्थी सं0 2 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु प्रर्याप्त अवसर देने के उपरांत जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बंद किया गया। मौका फर्द दिनांक 08.05.23 के अनुसार वादग्रस्त आराजी की पैमाईश करने पर अप्रार्थी–अपीलांट के ख0नं0 289, 292 व रास्ता के ख0नं0 265 की मध्य माठें मौके पर नही होने से सीमांकन करने पर मिलान नही होने का उल्लेख है। जिस पर अपीलाधीन आदेश द्वारा दोनो पक्षों के रूबरू राजस्व नक्शें में तरमीम अनुसार ग्राम तैतरोल के ख0नं0 253/783, 290, 291 एवं 292, 289, 265 की भूमि के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने का पारित किया गया। जो विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि आलौच्य प्रकरण में अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक द्वारा जारी सम्मन की ट्रेकिंग रिपोर्टस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। अपीलार्थी–रेस्पो0सं0 2 द्वारा दिनांक 15.07.24 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 6 सीपीसी को आदेशिका दिनांक 28.11.24 में स्वीकार कर, जवाब हतु अवसर दिया गया। बावजूद जवाब प्रस्तुत नही होने से दिनांक 06.03.24 को एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से उक्त अपील खारिज योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से, तदनुसार खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (जालोर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2023 बअनवान फरसराम व अन्य बनाम उकसिंह वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 18-5-26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

18/5/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर